न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री टीना डाबी, आई.ए.एस

लोक उपापन प्रथम अपील सं. 36/2025

अपीलांट–	**बनाम**	**रेस्पोडेंट्स–**
मैसर्स नवदुर्गा एन्टरप्राइजेज, प्रोपराईटर जगदीश आसु नेहरा पुत्र श्री आसुराम जाति जाट निवासी हरदानुपरा ग्रा.पं. नेहरो की नडी, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		जिला रसद अधिकारी बाड़मेर

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत प्रथम अपील विरूद्ध तकनिकी बोली स्वीकृति आदेश दिनांक 26.06.2025 जो ई–निविदा सूचना सं. 02/2025–26 पर उपापन समिति द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश गोयल, अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट स्वंय उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 06.01.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में मिड डे मील योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु जिले के राजकीय विधालयों एवं पंजीकृत मदरसाों में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु गठित उपापन समिति द्वारा ई–निविदा सूचना सं. 02/2025–26 में तकनिकी बोली स्वीकृति आदेश दिनांक 26.06.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अपील के संलग्न निर्धारित शुल्क रूपये दो हजार पांच सौ का डिमान्ड ड्राफ्ट सं. 964683 दिनांक 30.07.2025 प्रस्तुत किया गया हैं।
2. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील के [illegible] यह हैं कि राज्यपाल की आज्ञा से मिड डे मील योजनान्तर्गत [illegible] से बाड़मेर जिले के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संस्कृत [illegible] विद्यालय/शिक्षा क[illegible]ध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं मदरसा बोर्ड के रजिस्टर्ड मदरसों के अनुबंध तिथि से 1 वर्ष तक के लिए पोषाहार (खाद्यान्न गेंहू/चावल) परिवहन के लिए रेस्पोडेंट जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा द्वि–स्तरीय (तकनीकी एवं वित्तीय) ई–निविदा पद्धति से आरटीपीपी अधिनियम नियम, 2012 एवं नियम 2013 के ई–निविदा सूचना सं. 02/2025–26 दिनांक 26.06.2025 जारी की गई। उक्त ई–निविदा की पूर्ण शर्तों का विवरण लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड किया जाकर इच्छुक संवेदकों से ईप्रोक के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर की अध्यक्षता में उक्त ई–निविदा के बोलीदातागण की ओर से प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन हेतु उपापन समिति का गठन किया गया। ई–निविदा सूचना में विहित समयावधि दिनांक 27.06.2025 से 09.07.2025 को 4.00 पीएम के भीतर ईप्रोक के माध्यम से पोर्टल पर अपीलांट द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की गई। इस पर दिनांक 10.07.2025 को तकनीकी बोलियों को खोला जाकर मूल्यांकन किया गया जिसमें अपीलांट की ओर से प्रस्तुत बोलियों में प्रस्तुत दस्तावेजात की कमियां होने के कारण उपापन समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्ड–टर्नआवर के वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही किए जाने से अनर्हित घोषित किये गये विनिश्चय दिनांक 25.07.2025 के विरूद्ध यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

3. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया हैं कि अधीनस्थ उपापन समिति द्वारा ई–निविदा सं. 02/2025–26 के तकनीकी मूल्यांकन में नियमों के विपरित जाकर अपीलांट को अनर्हित घोषित किया गया है। बाड़मेर जिले में मिड डे मील व पोषाहार योजनान्तर्गत परिवहन सम्बंधित सेवाऐं राशि 53.00 लाख में भाग लिया गया, जिसमें जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा ई–प्रोक पोर्टल से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार तकनीकी बोली मूल्यांकन चार्ट में क्र.सं. 15 बिन्दू में विगत तीन वित्तिय वर्ष (2021–22, 2022–23, 2023–24) का कम से कम गत तीन वित्तिय वर्ष में बोली को लागत का न्यूनतम 30 प्रतिशत औसत वार्षिक टर्न ऑवर होने के संबंध में सी.ए. का सत्यापित प्रमाण पत्र के अनुरूप नहीं होने से तकनीकी रूप से अनर्हित घोषित किया गया है। उक्त निविदा की सामान्य शर्त संख्या 17 मे विगत 03 वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 को माना गया है, जबकि उक्त निविदा की सामान्य शर्त संख्या 15 में विगत 03 वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 को माना गया है, जो कि अपने आप में विगत तीन वर्ष के लिए दोहरा मापदण्ड नजर आता है। अर्थात विगत तीन वर्षो के अन्तर्गत शर्त संख्या 17 में वर्ष 2024–25 लिया गया जबकि शर्त संख्या 15 में वर्ष 2023–24 लिया गया जो विवादस्पद प्रतीत होता है। इसलिए दोनो शर्तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मे विगत 2024–25 मानकर अपीलांट को उक्त कार्य की निविदा में नियमानुसार निम्नलिखित शर्तो के आधार पर वित्तिय बोली खोलने में शामिल करवाने का निवेदन किया।

4. हमने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील एवं प्रस्तुत अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में राज्यपाल की आज्ञा से मिड डे मील योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम बाड़मेर के गोदाम से बाड़मेर जिले के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संस्कृत विद्यालय/शिक्षा कर्मी/माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं मदरसा बोर्ड के रजिस्टर्ड मदरसों के अनुबंध तिथि से 1 वर्ष तक के लिए पोषाहार (खाद्यान्न गेंहू/चावल) परिवहन के लिए रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा द्वि–स्तरीय (तकनीकी एवं वित्तीय) ई–निविदा पद्धति से आरटीपीपी अधिनियम नियम, 2012 एवं नियम 2013 के ई–निविदा सूचना सं. 02/2025–26 दिनांक 26.06.2025 जारी की गई। उक्त ई–निविदा की पूर्ण शर्तों का विवरण लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड किया जाकर इच्छुक संवेदकों से ईप्रोक के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर की अध्यक्षता में उक्त ई–निविदा के बोलीदातागण की ओर से प्रस्तुत बोलियों के मूल्यांकन हेतु उपापन समिति का गठन किया गया। ई–निविदा सूचना में विहित समयावधि दिनांक 27.06.2025 से 09.07.2025 को 4.00 पीएम के भीतर ईप्रोक के माध्यम से पोर्टल पर अपीलांट द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की गई। इस पर दिनांक 10.07.2025 को तकनीकी बोलियों को खोला जाकर मूल्यांकन किया गया जिसमें अपीलांट की ओर से प्रस्तुत बोलियों में प्रस्तुत दस्तावेजात की कमियां होने के कारण उपापन समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्ड–टर्नआवर के वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही किए जाने से अनर्हित घोषित किये गये विनिश्चय दिनांक 25.07.2025 के विरूद्ध यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उक्त निविदा की सामान्य शर्त संख्या 17 मे विगत 03 वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 को माना गया है, जबकि उक्त निविदा की सामान्य शर्त संख्या 15 में विगत 03 वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 को माना गया है, जो कि अपने आप में विगत तीन वर्ष मा[illegible] आता है। अर्थात विगत तीन वर्षो के अन्तर्गत शर्त संख्या 17 में वर्ष 2024–[illegible] जबकि शर्त संख्या 15 में वर्ष 2023–24 लिया गया जो विवादास्पद प्रतीत होता है इसलिए दोनों शर्तो मे विगत 2024–25 मानकर अपीलांट को उक्त कार्य की निविदा में नियमानुसार निम्नलिखित शर्तो के आधार पर वित्तिय बोली खोलने में शामिल करवाने का निवेदन किया। इसके विपरीत जिला रसद

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकट किया है कि सामान्य शर्त संख्या 17 मे विगत 03 वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 का कार्यानुभव चाहा गया था। वितिय वर्ष 2024–25 की समाप्ति माह मार्च 2025 में हो जाने से वर्ष 2024–25 का कार्यानुभव प्रमाण जारी किया जाना अपेक्षित है, जबकि सामान्य शर्त संख्या 15 में विगत 03 वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 का औसत वार्षिक टर्न आवर से संबंधित सनदी लेखागार का प्रमाण–पत्र चाहा गया है। वितीय वर्ष 2024–25 की समाप्ति माह मार्च 2025 में होने के तुरंत पश्चात वितीय वर्ष 2024–25 की ऑडिट रिपोर्ट कम समय में तैयार कर टर्न आवर प्रमाण–पत्र जारी करना मुश्किल प्रतीत होता है। अतः शर्त संख्या 15 में विगत तीन वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 लिए गये है। इसी क्रम में बोलीदाता मै नवदुर्गा इंटरप्राइजेज को जो बिन्दु संख्या 15 में अनर्हित घोषित किया गया है जो बोली की शर्त अनुसार सही है। इस प्रकार ई–निविदा की शर्तों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं किये जाने से उसे तकनीकी बोली में अनर्हित घोषित किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक या वाक्याती त्रुटि नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है

6. निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालयम में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
.जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:44:55 IST
Reason: SelfAttested